भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.583
06 फरवरी, 2024 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा

583. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का वर्तमान में कितना हिस्सा है और विगत तीन वर्षों के दौरान इसमें किस प्रकार विकास हुआ है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए प्रारंभिक पूंजीगत सहायता योजना क्या है और इसके अंतर्गत क्या प्रगति हुई है, प्रारंभिक पूंजी के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई है और लघु स्तर की खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों को सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार का विशेष रूप से ऐसे स्व-सहायता समूहों से संबंधित प्रारंभिक पूंजी आवंटन प्राथमिकता देने का विचार है जो एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) सम्बन्धी उत्पाद कार्य में लगे हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी सहायता के लिए स्व-सहायता समूहों का चयन करने के लिए किन मानदंडों पर विचार किया जाता है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क): पिछले चार वर्षों में देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) निम्नानुसार विकसित हुआ है:

	2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) (लाख करोड़ रुपये)	2.36	1.96	1.95	2.08

(ख): एमओएफपीआई ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की विभिन्न उप-योजनाओं के तहत 12817.68 करोड़ और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत 6778.57 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है । इसी अवधि के दौरान उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) के तहत 7696.58 करोड़ रुपये का निवेश भी किया गया है।

(ग): पीएमएफएमई योजना के प्रारम्भिक पूंजी घटक के तहत, खाद्य प्रसंस्करण गतिविधि में लगी एसएचजी इकाइयों के लिए प्रति स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्य 40000/-रुपये तक की सहायता कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए प्रदान की जाती है। यह समर्थन एसएचजी इकाइयों को बेहतर पैकेजिंग, गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण और इकाइयों की औपचारिकता के साथ बाजार में बेहतर कीमत प्राप्त करने में मदद करता है। प्रारम्भिक पूंजी एसएचजी फेडरेशन को अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है जिसे एसएचजी के सदस्यों को एसएचजी को चुकाए जाने वाले ऋण के रूप में दिया जाता है।

इसके अलावा, अब तक 2,36,704 एसएचजी सदस्यों के लिए 771.12 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। ग्रामीण एसएचजी के लिए 620.30 करोड़ रुपये की राशि एसआरएलएम को 1,94,053 एसएचजी सदस्यों के लिए जारी की गई है। शहरी एसएचजी के लिए 150.81 करोड़ रुपये की राशि एसयूएलएम को 42,651 एसएचजी सदस्यों के लिए जारी की गई है।

(घ) और (ङ): पीएमएफएमई योजना के तहत प्रारम्भिक पूंजी घटक के परिभाषित दिशानिर्देशों के अनुसार, पहले से ही खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में लगी एसएचजी इकाइयों का चयन किया जाता है और संबंधित इकाई की बिक्री/टर्नओवर के आधार पर पात्र प्रारम्भिक पूंजी लाभ प्रदान किया जाता है। एमओएफ़पीआई ने प्रारम्भिक पूंजी लाभ के लिए लाभार्थियों को जुटाने और पहचानने और एसएचजी इकाइयों द्वारा निधि के उपयोग को और सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ भी काम किया है। हालाँकि, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के प्रसंस्करण में लगे एसएचजी के लिए कोई विशिष्ट प्राथमिकता उपलब्ध नहीं है।

*****